

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक PBR/निगरानी/देवास/भू.रा./2017/3103 विरुद्ध आदेश दिनांक 14-8-2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन प्रकरण क्रमांक 746 /अपील/ 2015-16.

हरिओम पिता कोदर  
निवासी ग्राम पिपलकोटा  
तहसील कन्नौद जिला देवास

.....आवेदक

विरुद्ध

म0प्र0 शासन द्वारा पटवारी ह.नं. 27  
तहसील कन्नौर जिला देवास

.....अनावेदक

श्री धर्मन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक, आवेदकगण  
श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::  
(आज दिनांक ५/५/१६ को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 14-8-2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि पटवारी हल्का नम्बर 27 ग्राम पिपलकोटा द्वारा तहसीलदार, कन्नौद के समक्ष इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि आवेदक द्वारा ग्राम पिपलकोटा स्थित सर्वे नम्बर 406 रकबा 1.47 हेक्टेयर में से रकबा 0.20 हेक्टेयर पर अतिकमण किया गया है। तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 09/अ-68/2015-16 दर्ज कर दिनांक 30-7-16 को आदेश पारित कर आवेदक को बेदखल कर रुपये 3000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाकर सात दिवस में अतिकमण हटाने एवं अर्थदण्ड जमा करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी, कन्नौद जिला देवास के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत कर तहसील न्यायालय के आदेश का आदेश स्थगित किये जाने हेतु संहिता की धारा 52 का आवेदन

पत्र प्रस्तुत किया गया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 16-8-2016 को अंतरिम आदेश पारित कर तहसील न्यायालय के आदेश का कियान्वयन स्थगित किया गया एवं दिनांक 14-9-2016 को अपील निरस्त की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 14-8-2017 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :—

- (1) हल्का पटवारी द्वारा किस दिनांक को पंचनामा बनाया गया है और प्रश्नाधीन भूमि के किस दिशा में आवेदक का आधिपत्य पाया गया है, इसका कोई उल्लेख पंचनामा में नहीं है, जबकि आवेदक अपनी भूमि पर अपने बाद-दादा के समय से फसल बोयी जाती रही है।
- (2) हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत पंचनामा के गवाहों नारायण, ओमप्रकाश व जगदीश के कथन नहीं कराये गये हैं, इस कारण आवेदक का अतिक्रमण सिद्ध नहीं है।
- (3) हल्का पटवारी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कथन में इस बात को स्वीकार किया है कि उसने मौके पर विवादित भूमि का कोई सीमांकन नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का अतिक्रमण मानने का जो आदेश पारित किया है, वह त्रुटिपूर्ण है।
- (4) अधीनस्थ न्यायालय में जो साक्ष्य पटवारी विजय सिंह तोमर की हुई है, उसमें प्रकरण में प्रस्तुत नक्शा, प्रतिवेदन पंचनामों को विधि अनुसार प्रमाणित नहीं किया है, न ही उस पर पटवारी के हस्ताक्षर प्रमाणित हुए हैं। अतः उक्त दस्तावेज बगैर प्रमाणित हुए अधीनस्थ न्यायालय ने जो कब्जा हटाने का आदेश पारित किया है, वह अशुद्ध एवं त्रुटिपूर्ण है।
- (5) विधि की मंशा है कि पक्षकारों को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर प्रकरण का गुण-दोष के आधार पर निराकरण किया जाये, जबकि इस प्रकरण में पटवारी साक्ष्य होने के बाद आवेदक की साक्ष्य लिये बिना आदेश पारित किया गया है, जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है।

(6) आवेदक की ओर से साक्षी हरिओम, अमरदास, ओमप्रकाश, सुरेश, कैलाश, रामगोपाल, कोदर तथा अकबर के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये हैं, जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि अनावेदक पक्ष द्वारा हल्का पटवारी से मिलकर साजिशपूर्ण तरीके से अतिक्रमण का फर्जी रूप से पंचनमा व प्रतिवेदन तैयार किया गया है।

(7) मौके पर आवेदक का कोई अतिक्रमण नहीं है, अतः तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जायें।

4/ अनावेदक शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा आवेदक की उपस्थिति में विधिवत स्थल निरीक्षण किया गया है, जिसमें शासकीय भूमि पर आवेदक का अवैध अतिक्रमण सिद्ध पाये जाने पर तहसीलदार द्वारा आवेदक को बेदखल कर अर्थदण्ड अधिरोपित करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है और तहसीलदार के विधिसंगत आदेश की पुष्टि करने में दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा भी कोई त्रुटि नहीं की गई है। अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समर्त्ती निष्कर्ष हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सर्दर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक को विधिवत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर, आवेदक से उत्तर प्राप्त किया गया है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में जॉच उपरांत प्रश्नाधीन शासकीय भूमि पर आवेदक का अवैध अतिक्रमण पाये जाने पर तहसील न्यायालय द्वारा विहित प्रक्रिया विधिवत पालन करते हुए आदेश पारित कर आवेदक को बेदखल किया जाकर शास्ति अधिरोपित किया गया है। तहसील न्यायालय के आदेश को अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा विधिसंगत होने से रिथर रखा गया है। इस प्रकार तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समर्त्ती निष्कर्ष है, इस संबंध में 2012 आर.एन. 438 तुलसीदास विरुद्ध सालिगराम में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

“धारा 50-तीनों निचले न्यायालयों के एक ही निष्कर्ष-पुनरीक्षण में हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं।”

इसी प्रकार 1982 आर.एन. 36 रामाधार विरुद्ध आनन्द स्वरूप व अन्य में निम्नलिखित न्याय सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया :-

“धारा 50—समवर्ती निष्कर्ष—अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में कोई अवैधानिकता या अनियमितता नहीं—पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।”

उपरोक्त प्रतिपादित न्याय दृष्टान्तों के प्रकाश में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश विधिसंगत हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य हैं।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 14-8-2017 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गौयल)

अध्यक्ष

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश  
ग्वालियर